

जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 24 (पुराना) (हापुड़ शहरी भाग (पुराना दिल्ली-लखनऊ रोड (बांयी पटरी))) के कि०मी० 49.800 से कि०मी० 54.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 235 (मेरठ-हापुड रोड (बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्प से गुरुद्वारा चौक (बांयी पटरी))) के कि०मी० 28.500 से कि०मी० 31.300 कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव में बाधक वृक्षों का न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 24 (पुराना) (हापुड़ शहरी भाग (पुराना दिल्ली-लखनऊ रोड (बांयी पटरी))) के कि०मी० 49.800 से कि०मी० 54.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 235 (मेरठ-हापुड रोड (बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्प से गुरुद्वारा चौक (बांयी पटरी))) के कि०मी० 28.500 से कि०मी० 31.300 कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं हैं।

02/3/22
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड वन प्रभाग,
हापुड।